

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 41/2023

पिन्टु जायसवाल -बनाम- आदम अंसारी

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

03.08.2023

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
जामतारा	103	13	2849	12.5 डि0

थाना प्रभारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादगत भूमि पर उभय पक्ष अपना-अपना दावा-दखल प्रस्तुत कर रहे हैं। जाँच के दौरान प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि उक्त खाता नं0 13, प्लॉट नं0 2849 के रकबा 25 डि0 के मध्ये 12.50डि0 भूमि मेघलाल महतो पे0 काली महतो से 08.07.1975 में खरीदी गई है, जिसका ऑनलाईन रसीद भी वर्ष 2022 तक निर्गत है। प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 15.05.2023 को उक्त जमीन की मापी सरकारी अमीन डुमरी के द्वारा किया गया है जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का 1975 से ही दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर मकान निर्माण हेतु चाहरदिवारी दिया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। बावजूद इसके द्वितीय पक्ष के द्वारा दखल-कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण उभय पक्षों में तनाव व्याप्त है, वादगत भूमि पर द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में यह वाद प्रारम्भ किया गया।

निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे तथा केवल द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा एवं दस्तावेजों की छाया प्रति दाखिल किया गया। जिसे अभिलेखबद्ध किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा दो बार से अधिक कारणपृच्छा हेतु समय की माँग किया गया, परन्तु वे कारणपृच्छा समर्पित नहीं किए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस वाद में कालअवधि से पूर्व आदेश पारित किया गया।

----- विचारण एवं आदेश -----

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा डुमरी थाना के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने, के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि वादगत भूमि खतियानी रैयती किस्म की भूमि है, जिसका खतियान खेमन मियां वो सोमर मियां पेशरान नीरमल मियां के नाम से दर्ज पाया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा निर्बंधित दस्तावेज के माध्यम से प्रश्नगत भूमि मेघलाल महतो पे0 काली महतो से क्रय किया गया है। मेघलाल महतो पे0 काली महतो के द्वारा खतियानी रैयत खेमन मियां के पुत्र मनु मियां से निर्बंधित दस्तावेज के माध्यम से दिनांक 26.09.1974 को क्रय किया गया है। उक्त दोनों निर्बंधित

Certified Copy Issued

दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दोनों निबंधित दस्तावेजों में खरीद-बिक्री की गई भूमि का चौहदी भिन्न-भिन्न है। जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि मनु मियां खतियानी रैयत के वंशज नहीं थे। क्योंकि प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि खेमन मियां का पुत्र मनु मियां है, जबकि द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत वंशज द्वारा यह लिखित जवाब दिया गया है कि मनु मियां खेमन मियां व सोमर मियां के घर पर रहकर काम किया करते थे। बाद में खेमन मियां को पुत्र बनकर जमीन का बिक्री करने लगे जो गलत है। इस हेतु द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थानीय मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित खतियानी रैयत नीरमल मियां का वंशावली की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रथम पक्ष के द्वारा अपने चौहदी के अनुसार बने रहना चाहते हैं, जबकि द्वितीय पक्ष जो खतियानी रैयत के वंशज है, उनका कथन है कि उक्त भूमि पर सर्वे रास्ता पूर्वजों के द्वारा अपने पीछे की जमीन में आने-जाने के लिए रास्ता रखे हुए है इसी रास्ता पर प्रथम पक्ष अपना दावा-दखल करना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा के साथ अंचल अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन की छाया प्रति भी संलग्न किया गया है। जिसमें उल्लेख है कि खाता नं. 13 के प्लॉट नं. 2849 पर ही एक गली पूरब-पश्चिम बना हुआ है जो प्लॉट के अंतिम सीमान पर स्थित है उसके बाद अन्य प्लॉट है। प्लॉट नं. 2849 के कुछ भाग पर सड़क का निर्माण भी हो चुका है। इसी गली को लेकर खतियानी रैयत एवं केवालाधारी रैयत के बीच विवाद है। दोनों पक्ष गली को अपना बता रहे हैं। इससे इस बात को बल मिलता है कि जिस गली-रास्ता को लेकर प्रथम पक्ष अपना दावा कर रहे हैं वह खतियानी रैयतों के द्वारा पूर्वज काल से ही पीछे के प्लॉट में आने-जाने के लिए छोड़ा गया है।

अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ एवं आदेश देती हूँ कि खतियानी रैयत के द्वारा छोड़ी गई गली पर प्रथम पक्ष का अधिकार नहीं होना चाहिए वे उक्त गली का ईजमाईल इस्तेमाल के लिए छोड़ दें। पूर्वज काल से अस्तित्व में चली आ रही गली पर प्रथम पक्ष का अधिकार करना सर्वथा गलत है। द्वितीय पक्ष भी एवं अन्य रैयत भी उक्त रास्ते का इस्तेमाल आने-जाने के लिए कर सकते हैं। यद्यपि उक्त प्लॉट सं. 2849 के आंशिक भाग पर सड़क का निर्माण भी किया गया है, जिसकी पुष्टि अंचल अमीन के प्रतिवेदन से भी होती है। किसी सार्वजनिक या पूर्वज काल से इस्तेमाल में की जाने वाली रास्ता को कोई भी बंद नहीं कर सकता है, यह Natural Justice के खिलाफ है।

यदि प्रथम पक्ष को लगता है कि उक्त रास्ता उनका केवाला खरीदगी भूमि के अन्तर्गत है, तब यह मामला स्वत्व से संबंधित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष चाहें तो इस मामले का सक्षम न्यायालय में लाकर वाद का निष्पादन करा सकते हैं।

अतः प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी, डुमरी के प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराए तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

डुमरी।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

डुमरी।

09.08.23
Certified Copy Issued